

अपील संख्या 1248/2013/अलवर

अपील संख्या 1249/2013/अलवर

मैसर्स राज मोटर्स मशीनरी स्टोर्स

11, तेज मण्डी, अलवर

अपीलार्थी

बनाम

वाणिज्यिक कर अधिकारी

वृत्त-बी, अलवर

प्रत्यर्थी

एकलपीठ

श्री सुनील शर्मा, सदस्य

उपस्थित

श्री जे.के.जैन

अभिभाषक

श्री एन.के.बैद

उप राजकीय अभिभाषक

अपीलार्थी की ओर से

प्रत्यर्थी की ओर से

निर्णय दिनांक : 19.08.2014


निर्णय

ये दोनों अपीले अपीलार्थी द्वारा उपायुक्त (अपील्स), वाणिज्यिक कर विभाग, अलवर (जिसे आगे 'अपीलीय अधिकारी' कहा जायेगा) के द्वारा अपील संख्या 95 एवं 96/आरवैट/2012-13/उपा./अपील्स/अलवर में पारित पृथक-पृथक आदेश दिनांक 03.05.2013 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। दोनों अपीलें एक ही व्यवहारी से सम्बन्धित है तथा इनमें विवादित बिन्दु समान है इसलिए इनका निस्तारण एक ही निर्णय से किया जा रहा है। निर्णय की प्रतियाँ पृथक-पृथक पत्रावलियों पर रखी जाये।

अपील संख्या 1248/2013 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2009-10 के कर निर्धारण अभिलेख की पुनः जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि की तृतीय तिमाही में मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर, टिन नं. 08020605288, से रु. 8,96,485/- की गई खरीद पर चुकाये गये आगत कर रु. 1,25,502/- का क्लेम किया गया है, जबकि मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर ने उक्त अवधि में की गई कर योग्य बिक्री के सम्बन्ध में कार्यालय में प्रपत्र वैट-08 शून्य बिक्री का पेश किया गया है। विक्रेता व्यवहारी द्वारा वसूल किया गया आगत कर राजकोष में जमा नहीं कराये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 18 व 61 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में नियत तिथि को अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से किसी के भी उपस्थित नहीं होने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 33, 18 व 61 के अन्तर्गत

पारित किया जाकर आलोच्य अवधि में क्लेम की गई आई.टी.सी. रू. 1,25,502/-को रिवर्स करते हुए इस पर ब्याज रू. 20,080/-आरोपित किया। इसके अतिरिक्त अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मिथ्या आई.टी.सी. क्लेम करने के कारण अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रू.2,51,004/-आरोपित करते हुए कुल रू. 3,96,586/-की मांग सृजित की। इस सृजित की गई मांग के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने रिवर्स टैक्स एवं ब्याज को यथावत रखते हुए एवं अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू.2,51,004/-को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।

अपील संख्या 1249/2013 के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि वाणिज्यिक कर अधिकारी, वृत्त-बी, अलवर (जिसे आगे कर निर्धारण अधिकारी कहा जायेगा) के द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के वर्ष 2010-11 के कर निर्धारण अभिलेख की पुनः जांच पर पाया गया कि अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा आलोच्य अवधि की तृतीय तिमाही में मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर, टिन नं. 08020605288, से की गई खरीद पर चुकाये गये आगत कर रू. 58,653/-का क्लेम किया गया है, जबकि मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर द्वारा वसूल किया गया आगत कर राजकोष में जमा नहीं कराये जाने के कारण कर निर्धारण अधिकारी ने अपीलार्थी व्यवहारी को राजस्थान मूल्य परिवर्धित कर अधिनियम, 2003 (जिसे आगे अधिनियम कहा जायेगा) की धारा 18 व 61 के अन्तर्गत कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। नोटिस की पालना में नियत तिथि को अपीलार्थी व्यवहारी फर्म के भागीदार श्री उमाशंकर मेठी ने उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश किया कि उनकी फर्म द्वारा विक्रेता व्यवहारी मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर से आलोच्य अवधि में की गई खरीद के सभी भुगतान चेक द्वारा किया है। कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी के जवाब को सन्तोषप्रद नहीं मानते हुए आलोच्य अवधि का कर निर्धारण आदेश अधिनियम की धारा 33, 18,55 व 61 के अन्तर्गत पारित करते हुए आलोच्य अवधि में क्लेम की गई आई.टी.सी. रू. 58,653/-को रिवर्स कर इस पर ब्याज रू. 14,077/-आरोपित किया तथा अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा मिथ्या आई.टी.सी. क्लेम करने के कारण अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत शास्ति रू. 1,17,306/-आरोपित कर कुल रू. 1,90,036/-की मांग सृजित की। इस सृजित की गई मांग के विरुद्ध अपीलार्थी व्यवहारी द्वारा अपीलीय अधिकारी के समक्ष अपील प्रस्तुत करने पर उन्होंने रिवर्स टैक्स एवं ब्याज को यथावत रखते हुए अधिनियम की धारा 61(2)(बी) के अन्तर्गत आरोपित शास्ति रू. 2,51,004/-को अपास्त करते हुए अपील आंशिक रूप से स्वीकार की है।



इस प्रकार अपीलार्थी व्यवहारी ने रिवर्स किये गये कर क्रमशः रू. ,25,502/-, 58,653/- एवं इस पर आरोपित क्रमशः ब्याज रू. 20,080/- एवं रू.14,077/-को अपीलीय अधिकारी द्वारा यथावत रखे जाने के विरुद्ध ये दोनों अपीलें प्रस्तुत की हैं।

अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से विद्वान अभिभाषक ने कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आलोच्य अवधियों के पारित कर निर्धारण आदेश क्रमशः दिनांक 24.8.2012 एवं 24.8.2012 को अविधिक बताते हुए कथन किया कि आलोच्य अवधियों में मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर से जरिए वैट इनवायस माल की खरीद की गई, जिस पर नियमानुसार देय कर क्रमशः रू. 8,96,485/- एवं रू. 58,653/- का भुगतान जरिए चेक से किया गया है। उनका कथन है कि इस प्रकार आलोच्य अवधियों का आई.टी. सी.क्लेम अधिनियम की धारा 18 के प्रावधानों के अनुसार ही किया गया,जिसे मिथ्या अथवा गलत ठहराना अनुचित एवं अविधिक है। उन्होंने अग्रिम अभिवाक किया कि विक्रेता व्यवहारी मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर, वाणिज्यिक कर विभाग का पंजीकृत व्यवहारी है और उसका टिन नम्बर 08020605288 है, यदि अपीलार्थी व्यवहारी ने आलोच्य अवधि में जरिए वैट इनवायस वसूल किया गया आगत कर यदि राजकोष में जमा नहीं कराया है तो इसमें अपीलार्थी का क्या दोष है? उनका कथन है कि कर निर्धारण अधिकारी द्वारा आई टी सी क्लेम अस्वीकार कर उसे रिवर्स किया जाना अविधिक है। उन्होंने उक्त कथन के आधार पर प्रस्तुत अपीले स्वीकार करने का निवेदन किया।

प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने कथन किया कि आई टी सी का क्लेम अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों के अन्तर्गत ही देय है। उनका कथन है कि उक्त धारा के प्रावधानों के अनुसार क्लेम की गई आई टी सी (आगत कर) तभी स्वीकृत होगा जबकि मूल वैट इनवायस में अंकित टैक्स इनवायस जारी होने के तीन माह के भीतर राजकोष में जमा हो गया है। उन्होंने बताया कि हस्तगत प्रकरणों में विक्रेता व्यवसायी मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर ने कर योग्य विक्रय का प्रपत्र वैट-08 शून्य राशि का प्रस्तुत किया है, जिससे स्पष्ट है कि मूल वैट इनवायस में अंकित टैक्स इनवायस जारी होने के तीन माह के भीतर भी राजकोष में जमा नहीं कराया है इसलिए कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी की आलोच्य अवधियों की आई.टी.सी. रिवर्सल के फलस्वरूप अधिनियम की धारा 61 (2) में अन्तर्गत शास्ति आरोपित शास्ति विधि सम्मत है। उन्होंने अपीलीय अधिकारी के अपीलाधीन आदेशों को विधिसम्मत बताते हुए प्रस्तुत अपीलें अस्वीकार करने का निवेदन किया।

उभय पक्षों की बहस सुनी गयी तथा उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन किया गया। हस्तगत प्रकरणों में विक्रेता व्यवसायी मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी को विक्रय किये गये माल पर जरिए वैट इनवाइस वैट वसूल किया गया है इसलिए अपीलार्थी द्वारा आई.टी.सी क्लेम किया गया है। परन्तु जांच पर कर निर्धारण अधिकारी ने पाया गया कि आलोच्य अवधियों में विक्रेता व्यवसायी द्वारा अपीलार्थी व्यवहारी से वसूल किये गये वैट को राजकोष में जमा नहीं कराया गया है तथा विक्रेता व्यवसायी मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर द्वारा कर योग्य विक्रय का प्रपत्र वैट-08 शून्य का प्रस्तुत किया गया है। अपीलार्थी व्यवसायी द्वारा बहस के दौरान मुख्य तर्क यह दिया गया कि उसने विक्रेता व्यवसायी से क्रय किये गये माल का भुगतान जरिए चेक किया इसलिए विक्रेता व्यवसायी द्वारा वैट राजकोष में जमा नहीं कराने की स्थिति में उसकी क्या गलती है?

आई.टी.सी.क्लेम किये जाने पर उस क्लेम को अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत स्वीकार अथवा अस्वीकार किये जाने का प्रावधान है। प्रकरण में निहित बिन्दु के निर्णय हेतु अधिनियम की धारा 18 (2) को उद्धरित किया जाना समीचीन होगा।

18. Input Tax Credit. —“(2) The claim of input tax credit shall be allowed on the tax deposited on the basis of original VAT invoice within three months from the date of issuance of such invoice. However, claim of input tax credit of the additional tax deposited may be allowed on the basis of VAT invoice which has been issued subsequently in compliance with the decision of any competent court or authority, showing the tax at higher rate. If the first original VAT invoice is lost, input tax credit may be allowed on the basis of a duplicate copy thereof, subject to such conditions as may be prescribed.”

उक्त अधिनियम की धारा 18(2) के प्रावधानों क्लेम की गई आई टी सी तभी स्वीकृत होगी जबकि मूल वैट इनवायस में अंकित टैक्स इनवायस जारी होने के तीन माह के भीतर राजकोष में जमा हो गया है। हस्तगत प्रकरणों के तथ्यों के अनुसार विक्रेता व्यवसायी मैसर्स दीपक मशीनरी ट्रेडर्स, अलवर द्वारा कर योग्य विक्रय का प्रपत्र वैट-08 शून्य का प्रस्तुत किया गया है, जिससे स्पष्ट है कि मूल वैट इनवायस में अंकित टैक्स इनवायस जारी होने के तीन माह के भीतर भी राजकोष में जमा नहीं कराया गया है। अतः कर निर्धारण अधिकारी द्वारा रिवर्स की गई आई टी सी (आगत कर) एवं उस पर आरोपित ब्याज उचित है। इन्हीं तथ्यों को ध्यान में रखते हुए विद्वान अपीलीय अधिकारी द्वारा कर निर्धारण आदेश की पुष्टि की गई है, जो उचित है।

फलस्वरूप अपीलार्थी व्यवहारी की ओर से प्रस्तुत की गई दोनों अपीलें अस्वीकार की जाती हैं।


(सुनील शर्मा)

सदस्य